

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... 34/05 आशिकारी मुकाम... बागड

बनाम... सुनमाता वगैर

किस्म मुकदमा... राठ भाषण नं... 168/2022 सन... 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
13/4/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री... रिवेण्डारम प्रियाराज</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... 111, 122</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... 20/4/22 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर</p>
20/04/2022	<p>प्रार्थी व वकील उपस्थित/विप्रार्थी</p> <p>जाओ के नोटिस लामिल गैडम लामिल</p> <p>प्रियालत/इन्लजाए होडए पत्रावली</p> <p>दिनांक- 23/05/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला-बाड़मेर</p>

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

न्यायालय  
क्र : बाड / 2022 / 733  
पार्थी

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज
23/05/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाडमेर</p>

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/733

दिनांक : 23/05/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र मगाराम,  
जाति जाट, निवासी पनोणी जाणियों की ढाणी,  
पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. पुनमाराम पुत्र मगाराम वगैरा 38,  
जाति जाट, निवासी दानोणी मेगवालों की  
ढाणी, पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों  
की ढाणी, तहसील बायतु (बाडमेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 168/2022

#### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - पनोणी जाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 1221/1124 रकबा क्रमशः 5.7682 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 600/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदोद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/734-738

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नगोणी धतरवालों की ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र मगाराम,
4. विप्रार्थी श्री पुनमाराम पुत्र मगाराम वगैरा 38,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 23/05/2022

जिला-बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाडमेर